भारतीय सर्वोच्च न्यायालय सिविल अपीलीय अधिकारिता

सिविल अपील सं. 1163/2007

मै. आहुजा ढाबा द्वारा अमरीक सिंह आहुजा अपीलार्थी(यों)

बनाम

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इसके उपाध्यक्ष एवं अन्य

प्रत्यर्थी(यों)

<u>आदेश</u>

- (1) हमने अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री चंद्र शेखर तथा प्रतिवादी सं. 1 दि.वि.प्रा. की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णु बी. सहर्य को सुन लिया है | हमने अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया है तथा आक्षेपित निर्णय तथा अभिलेख पर उपलब्ध अन्य तथ्यों को भी देख लिया है |
- (2) वादी का मुकद्दमा यह है कि वह खसरा सं. 958/29 में विवादित संपत्ति के हिस्से पर अब भी काबिज़ है, जो कि उसके अनुसार अभी तक निष्क्रांत संपत्ति है | श्री सहर्य ने इस तर्क का खंडन किया और निवेदन किया कि विवादित भूमि दिल्ली विकास प्राधिकरण को उसके पूर्ववर्ती दिल्ली सुधार ट्रस्ट द्वारा हस्तांतरित की गयी है | ऐसा बयान

किया गया है कि दि.वि.प्रा., दिल्ली सुधार न्यास का उत्तरवर्ती निकाय होने के नाते अब विवादित संपत्ति का स्वामी (मालिक) है |

- (3) अधिवक्तागण के निवेदन पर विचार करते हुए तथा आक्षेपित निर्णय व अभिलेख पर अन्य तथ्यों को देखते हुए, हमें उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश में दखल देने की आवश्यकता नज़र नहीं आती |
- (4) तदनुसार अपील खारिज की जाती है |
- (5) इस आपील का खारिज होना, वादी को उसके लिए क़ानून के अंतर्गत किसी अन्य उपाय, यदि कोई उपलब्ध हो, ढूँढने में रुकावट नहीं होगा |
- (6) लंबित आवेदन, यदि कोई हो, को भी निपटाया जाता है |

.....धायाधीश (आर. भानुमती)

.....धीश (आर. सुभाष रेड्डी)

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2019

अस्वीकरणः देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्द्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।